

परियोजना का नाम:- शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- दुम्काबंगर बच्ची धर्मा।
तहसील- हल्द्वानी, जिला-नैनीताल।

आम सभा बैठक प्रमाण पत्र।

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बिन्दुखत्ता में शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु (4.9962 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.9962 है0 वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुम्काबंगर बच्ची धर्मा द्वारा दिनांक 09/03/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दुम्काबंगर बच्ची धर्मा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है।

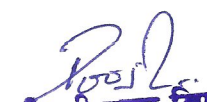
ग्राम सचिव


रुक्मिणी नेगी
ग्राम प्रधान
दुम्काबंगर बच्ची धर्मा
जिला- नैनीताल - हल्द्वानी

दिनांक 09/03/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत- दुम्काबंगर बच्ची धर्मा।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.)	श्री लक्ष्मी दत्त जोशी	लक्ष्मी दत्त
2.)	श्री गोपाल काठपाल	गोपाल
3.)	श्री मयुरा दत्त कौटिया	मयुरा दत्त
4.)	श्री ललिता प्रसाद जोशी	ललिता प्रसाद
5.)	श्री चिन्तामणी जोशी	चिन्तामणी
6.)	श्री गोविन्द वल्लभ काठपाल	गोविन्द
7.)	श्री गणेश दत्त पाण्डे	गणेश दत्त
8.)	श्री चन्दन फुलारा	चन्दन
9.)	श्री पूरन जोशी	पूरन जोशी
10.)	श्री हरीश जोशी	हरीश जोशी


श्रीमती पूजा बिष्ट
 क्षेत्र पंचायत सदस्य
 3 दीना,
 वि०ख०- हल्द्वानी (नैनीताल)


रुकमणी नेगी
 ग्राम प्रधान
 दुम्काबंगर बच्ची धर्मा
 वि०ख०- हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम का निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, हल्द्वानी।

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु (4.9962 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 4.9962 है० वन भूमि) का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-हल्द्वानी) की दिनांक 25.7.2016 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पंकज उपाध्याय उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री पंकज उपाध्याय, उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी, अध्यक्ष।
- 2- श्री ध्रुव सिंह मर्तोलिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला, सदस्य।
- 3- श्री खड़क राम टम्टा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव।
- 4- श्री पूजा बिष्ट, बी०डी०सी० क्षेत्र, सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 4.9962 है० वन भूमि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 4.9962 है० वन भूमि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- हल्द्वानी,
नैनीताल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- हल्द्वानी,
नैनीताल।

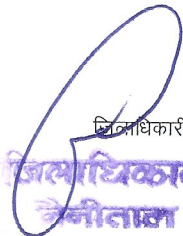
परियोजना का नाम:- शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 4.9962 है० वन भूमि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


पुर्वत पत्र
राजस्थान वन विभाग
ने...
हमीन
८/८/२०


उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी.


जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रपत्र- 23.2

परियोजना का नाम:- शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम का निर्माण।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
जिला स्तरीय समिति, नैनीताल।

जिला स्तरीय समिति नैनीताल उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु (4.9962 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 4.9962 है0 वन भूमि) का जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (नैनीताल) की दिनांक19.7.21..... को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (नैनीताल) की बैठक श्री धीराज सिंह गर्बाल, जिलाधिकारी नैनीताल स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री धीराज सिंह गर्बाल, जिलाधिकारी नैनीताल, अध्यक्ष।
- 2- श्री संदीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी, सचिव/सदस्य।
- 3- श्री दीपाकर विष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल, सचिव/सदस्य।
- 4- श्री डॉ. मोहन खन्ना, जिला पंचायत सदस्य, 22 जगगी बगर, सचिव/सदस्य।

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 4.9962 है0 वन भूमि जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्रामसभा दुम्काबंगर बच्ची धर्मा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद नैनीताल के अन्तर्गत उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 4.9962 है0 वन भूमि जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

22 जगगी बगर
सदस्य
जिला पंचायत नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.
जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
नैनीताल

परियोजना का नाम:- शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम का निर्माण।

Annexure-II

Form-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Nainital (U.K.)

No.....

Dated 17-7-21

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No.119/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 4.9962 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of District Youth Welfare and P.R.D Officer, Nainital for the Construction of Saheed Mohan Nath Goswami Memorial Mini Stadium in Nainital District falls within jurisdiction of Dumkabanger Bachhi Dharma village(s) in Haldwani tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.9962 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records off all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure- 23 to 23.3 annexure II.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ pocesses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Dumkabanger Bachhi Dharma village(s) is enclosed as annexure-23 to annexure-23.1
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under sation 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha metting have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA;

Encl: As above

Signature
जिलाधिकारी
नैनीताल
(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम:- शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम का निर्माण।

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT- Nainital (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dheeraj Singh Garbyal, I.A.S. deputy commissioner, Nainital on dated 17.7.21 at time at Nainital in which application claiming rights in 49962 Sq. Meter/area measuring 4.9962 hectares for the Construction of Saheed Mohan Nath Goswami Memorial Mini Stadium. Forest land under FRA, 2006 of the following applicants duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place Nainital

Dated 17.7.21

Deputy Commissioner cum chairman
District Level Committee